(नियम 26)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मनीराम बनाम सतपाल वगै. व सरकार

अपील प्रकरण सं. 15/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
17.02.16	पत्रावली बाद रिपोर्ट पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं कैवियटकर्त्ता के अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रख कर दर्ज रजिस्टर की जाती है। नोटिस जारी हो। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2016 को पेश हो।
19.02.16	पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट का स्थगन बाबत मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन इंतकाल आराजी चक 49 एलएलडब्ल्यू के मुरब्बा नं. 85, 86 व 89 की भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करने का आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है। सतपाल को वारिस नही माना जा सकता। दिनांक 04.02.2016 को सतपाल के नाम से इंतकाल होने से अपीलाधीन आराजी को सतपाल खुर्द बुर्द कर अन्य लोगों को बेचान कर सकता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यदि भूमि का बेचान हो गया तो सूरजी देवी के दूसरे वारिसान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपीलाधीन भूमि को किसी भी तरीके से कब्जा काश्त, रहन बैय व अन्य किसी बैंकिंग संस्था से आराजी पर ऋण लेने और कब्जा में दखल अंदाजी करने से निषेध किया जावे। इसके विरोध में कैवियटकर्त्ता सतपाल के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 713 व 714 द्वारा 2.024 है, भूमि सतपाल के नाम से दर्ज की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अपील के लम्बनकाल में यदि अपीलाधीन आराजी का विक्रय हो जाता है तो अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा और अपीलांट्स को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वकील अपीलांट के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 49 एलएलडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 85,86 व 89 की भूमि पर कब्जा काश्त, रहन बैय, बैंकिंग संस्था से ऋण लेने, कब्जा में दखल करने बाबत रैस्पोडेंटस अपील के निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखेगें। रेस्पोडैंटस को जरिए सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.04.2016 को पेश हो। 19/2/16

Scanned by CamScanner

किया - नकल रेस्पो० के Ad. को दिखाई गई। पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब बबहस प्रा० पत्र दि० 19.4.16 को पेश हो।

12/6/16 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभय पक्ष उप०। श्री प्रेम चन्द सेवटा Ad. ने रेस्पो० सं० 3.1 से 3.5 व 4.1, 4.3 की ओर से वकालतनामा पेश किया - प्रा० मिसल हो। रेस्पो० सं० एक के Ad. श्री खेत-पाल सिहाग ने फार्म नं. 3 के साथ रा० मण्डल द्वारा निग० / 2 R.A. / 1861 / 2016 में पारित निर्णय दि० 10-3-16 की प्रमाणित प्रति पेश की - जो प्रा० मिसल की गई। रा० मण्डल के निर्णय अनुसार हस्तगत अपील प्रकरण में पारित आदेश दि० 19.2.16 क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने से निरस्त कर दिया गया है। आदेश से पक्षकारान को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे चाहें तो सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोई कर सकते हैं। तब तक उभय पक्ष प्रकरण में निहित वादग्रस्त आराजी के राजस्व

N.J - 900 / 7.4.16 / S/I - Agai

अभिलेख व मौके को आज दिनांक की स्थिति यथावत बनाये रखें।

अतः माननीय मण्डल के आदेश दि० 10.3.16 की पालना में प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन इंतकाल धारा 135(2) के तहत पारित किया गया होने से, सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। मा० मण्डल के आदेशानुसार अन्य पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है। आदेशिका की एक प्रति के साथ रेकार्ड अधीन न्यायालय को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner